रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1975 श्रावण 16, 1897
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1975/SRAVANA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th August 1975

SUBJECT—*Import of Fresh Fruits, all sorts, excluding coconuts, cashewnuts and dates [S. No. 21(a)(i)/IV] from Afghanistan during the period from 1st March, 1975 to 31st August, 1975.*

No. 82-ITC(PN)/75.—The general trade arrangement between India and Afghanistan signed on the 20th February, 1972 has been extended upto 31st August, 1975. Pending the conclusion of a new trade arrangement with Afghanistan, it has been decided to allow the import of fresh fruits from that country in terms of this Public Notice.

2. Attention is invited to Ministry of Commerce, Public Notice No. 108-ITC(PN)/74, dated 31st July, 1974, detailing the policy for import of fresh fruits from Afghanistan during the period 1st March, 1974 to 28th February, 1975. It has been decided to allow the import of fresh fruits to "approved importers" and "others" in the same manner as given in the said Public Notice. The terms and conditions of the said Public Notice will apply to the import of fresh fruits under this Public Notice subject to the following provisions :—

(i) The applications for CCP's for import of fresh fruits under this Public Notice may be made so as to reach the licensing authorities concerned on or before 20th August, 1975;

(ii) No CCP under this Public Notice will be issued after 31st August, 1975;

(iii) CCPs issued under this Public Notice will be valid upto 31st August, 1975 No grace period will be admissible;

(iv) Exports under the "export first scheme" will be permitted under this Public Notice upto 15th August, 1975. In such cases also, the applications for CCPs for counter import will be entertained upto 31st August, 1975. The imports on such CCPs shall be made by 31st August, 1975. The provision in Public Notice No 108-ITC(PN)/74 will not apply in regard to the issue of repeat CCPs.

(v) The last date for counterbalancing of imports by exports under this Public Notice would be 29th February, 1976;

(vi) EP forms covering exports to Afghanistan will be approved by the Reserve Bank of India The E.P forms would be valid for a period of 30 days from the date of issue or upto 30th January, 1976 whichever is earlier.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

(आयात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

विषय.—1 मार्च, 1975 से 31 अगस्त 1975 तक की अवधि के दौरान नारियल, काजू एवं खजूरों (क्रम सं० 21(ए)(1)/4) को छोड़कर अफगानिस्तान से सभी प्रकार के ताजे फलों का आयात ।

सं० 82-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—भारत और अफगानिस्तान के बीच दिनांक 20 फरवरी 1972 को हस्ताक्षरित सामान्य व्यापार व्यवस्था 28 फरवरी, 1975 को समाप्त हो चुकी है । नए व्यापार समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण यह निश्चय किया गया है कि उस देश से ताजे फलों के आयात के लिए स्वीकृति प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार दी जाए ।

2. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 108-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31 जुलाई, 1974 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें 1-3-74 से 28-2-75 तक की अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए नीति का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है । यह निश्चय किया गया है कि "अनुमोदित आयातकों" एवं "अन्य" को ताजे फलों के आयात की स्वीकृति उसी तरह दी जाए जैसा कि उक्त सार्वजनिक सूचना में बताया गया है । उक्त सार्वजनिक सूचना के नियम तथा शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अधीन लागू होंगी:—

(1) इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन पत्र इस तरह दिए जाएं कि वे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी के पास 28-8-1975 को या इससे पूर्व पहुंच जाएं;

(2) इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत सीमाशुल्क निकासी परमिट 31-8-1975 तक जारी किये जाएंगे;

(3) इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस 31 अगस्त, 1975 तक वैध होंगे;

(4) इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार "निर्यात प्रथम योजना" के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति 15–8–1975 तक दी जाएगी । ऐसे मामलों ने भी प्रति आयात के लिए सी०सी०पी० के लिए आवेदन-पत्र 31–8–75 तक किए जाएंगे । ऐसे सी०सी०पी० पर आयात 31–8–75 तक किए जाएंगे । सार्वजनिक सूचना संख्या 108-आईटीसी (पीएन)/74 में दी गई व्यवस्था जारी किए गए पुनरावृत्ति सी०सी०पी० के सम्बन्ध लागू नहीं होगी;

(5) इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत निर्यातों द्वारा आयातों के प्रति संतुलन के लिए अन्तिम तिथि 29 फरवरी, 1976 होगी;

(6) अफगानिस्तान के लिए निर्यातों को समाविष्ट करने वाले ई० पी० प्रपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे । ई०पी० प्रपत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के लिए या 30 जनवरी, 1976 इन में जो भी कम हो, उस तक वैध होंगे ।

वी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975